बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या– रा०कृ०वि०यो०को०–37/2023– प्रो०वि०एस०-142- /कृ0,पटना, दिनांक: 17/10/ ,2024

प्रेषक,

मनोज कुमार,
संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रुप से परामर्शित। द्वारा : **वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)**

विषय : **वित्तीय वर्ष 2023–24 से 2025–26 तक (तीन वर्षो हेतु) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (DPR Based Scheme) (60:40) के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, पूर्वी अनुसंधान परिसर, पटना अंतर्गत बिहार के ग्रामीण, छोटे और सीमांत परिवारों के लिए आजीविका सुधार, क्षमता निर्माण और उद्यम निर्माण के लिए मशरूम स्पॉन उत्पादन–सह–प्रदर्शन इकाई की स्थापना हेतु कुल 108.00 लाख (एक करोड़ आठ लाख) रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति के अधीन द्वितीय वर्ष 2024–25 के प्रतिबद्ध देयता राशि 14.50 लाख (चौदह लाख पचास हजार) रूपये एवं वित्तीय वर्ष 2023–24 के घटकों के कार्यान्वयन हेतु 39.50 लाख (उनतालीस लाख पचास हजार) रूपये कुल 54.00 लाख (चौवन लाख) रूपये {केन्द्रांश 32.40 लाख (बतीस लाख चालीस हजार) रूपये एवं राज्यांश 21.60 लाख (इकीस लाख साठ हजार) रूपये} की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश – स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2023–24 से 2025–26 तक (तीन वर्षो हेतु) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (DPR Based Scheme) (60:40) के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, पूर्वी अनुसंधान परिसर, पटना अंतर्गत बिहार के ग्रामीण, छोटे और सीमांत परिवारों के लिए आजीविका सुधार, क्षमता निर्माण और उद्यम निर्माण के लिए मशरूम स्पॉन उत्पादन–सह–प्रदर्शन इकाई की स्थापना हेतु कुल 108.00 लाख (एक करोड़ आठ लाख) रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति के अधीन द्वितीय वर्ष 2024–25 के प्रतिबद्ध देयता राशि 14.50 लाख (चौदह लाख पचास हजार) रूपये एवं वित्तीय वर्ष 2023–24 के घटकों के कार्यान्वयन हेतु 39.50 लाख (उनतालीस लाख पचास हजार) रूपये कुल 54.00 लाख (चौवन लाख) रूपये {केन्द्रांश 32.40 लाख (बतीस लाख चालीस हजार) रूपये एवं राज्यांश 21.60 लाख (इकीस लाख साठ हजार) रूपये} की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–125 दिनांक–31.10.2023 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2023–24 के घटकों के कार्यान्वयन हेतु एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 के प्रतिबद्ध देयता राशि की स्वीकृति दी जा रही है। यह एक केन्द्र प्रायोजित चालू योजना है।

3. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–125 दिनांक–31.10.2023 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 से 2025–26 तक (तीन वर्षो हेतु) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (DPR Based Scheme) (60:40) के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, पूर्वी अनुसंधान परिसर, पटना अंतर्गत बिहार के ग्रामीण, छोटे और सीमांत परिवारों के लिए आजीविका सुधार, क्षमता निर्माण और उद्यम निर्माण के लिए मशरूम स्पॉन उत्पादन–सह–प्रदर्शन इकाई की स्थापना हेतु कुल 108.00 लाख (एक करोड़ आठ लाख) रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं इसके अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में 79.00 लाख (उनासी लाख) रूपये {केन्द्रांश 47.40 लाख (सैंतालीस लाख चालीस हजार) रूपये एवं राज्यांश 31.60 लाख (इकतीस लाख साठ हजार) रूपये} की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई थी। स्वीकृत राशि के आलोक में वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल 39.50 लाख (उनतालीस लाख पचास हजार) रूपये का आवंटनादेश निर्गत किया गया था जिसकी निकासी कर SNA खाता में अंतरित की गयी थी। अंतरित राशि से कुल 39.50 लाख (उनतालीस लाख पचास हजार) रूपये कार्यान्वयन एजेंसी निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, पूर्वी

अनुसंधान परिसर, पटना को व्यय करने हेतु निर्धारित किया गया था। निर्धारित राशि के आलोक में कार्यान्वयन एजेंसी के द्वारा कुल 10.36714 लाख (दस लाख छतीस हजार सात सौ चौदह) रूपये व्यय किया गया है एवं शेष बकाया राशि कुल 68.63286 लाख (अड़सठ लाख तिरसठ हजार दो सौ छियासी) रूपये की मांग की गई है। SNA खाता में उपलब्ध राशि से 29.13286 लाख (उनतीस लाख तेरह हजार दो सौ छियासी) रूपये कार्यान्वयन एजेंसी को व्यय हेतु निर्धारित किया जायेगा। शेष राशि 39.50 लाख (उनतालीस लाख पचास हजार) रूपये वित्तीय वर्ष 2023–24 के घटकों के कार्यान्वयन हेतु एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 के प्रतिबद्ध देयता राशि की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी जा रही है जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है :–

राशि लाख रू० में

वित्तीय वर्ष	केन्द्रांश				राज्यांश				सकल योग
	सामान्य	अनु०जाति	अनु० जन जाति	कुल	सामान्य	अनु०जाति	अनु० जन जाति	कुल	
2023–24	18.62820	4.74000	0.33180	**23.70000**	12.41880	3.16000	0.22120	**15.80000**	**39.50000**
2024–25	7.20360	1.38417	0.11223	**8.70000**	4.80240	0.92278	0.07482	**5.80000**	**14.50000**
कुल	**25.83180**	**6.12417**	**0.44403**	**32.40000**	**17.22120**	**4.08278**	**0.29602**	**21.60000**	**54.00000**

4. दिनांक–28.06.2024 को आयोजित राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की बैठक में वित्तीय वर्ष 2024–25 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (DPR Based Scheme) अंतर्गत बकाया राशि के भुगतान हेतु अनुशंसा की गई है।

5. भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के पत्रांक–7–1/2024–RKVY दिनांक–14.05.2024 द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (DPR Based Scheme) अंतर्गत केन्द्रांश मद में कुल 77.68 करोड़ रू० (सामान्य 64.32 करोड़ रू०, अनुसूचित जाति 12.36 करोड़ रू० एवं अनुसूचित जनजाति 1.00 करोड़ रू०) उद्व्यय संसूचित किया गया है।

6. वित्तीय वर्ष 2024–25 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (DPR Based Scheme) अंतर्गत केन्द्रांश मद में उद्व्यय के आलोक में प्रथम किस्त के रूप में भारत सरकार के पत्रांक–1–4/2024–RKVY/1 दिनांक–31.05.2024 द्वारा सामान्य के लिए 20.17 करोड़ रू०, भारत सरकार के पत्रांक–1–4/2024–RKVY/2 दिनांक–31.05.2024 द्वारा अनुसूचित जाति के लिए 3.87 करोड़ रू० एवं भारत सरकार के पत्रांक–1–4/2024–RKVY/3 दिनांक–31.05.2024 द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए 0.31 करोड़ रू० कुल 24.35 करोड़ रूपये विमुक्त किया गया है। द्वितीय किस्त के रूप में भारत सरकार के पत्रांक–1–4/2024–RKVY/1 दिनांक–10.09.2024 द्वारा सामान्य के लिए 12.43 करोड़ रू०, भारत सरकार के पत्रांक–1–4/2024–RKVY/2 दिनांक–10.09.2024 द्वारा अनुसूचित जाति के लिए 2.38 करोड़ रू० एवं भारत सरकार के पत्रांक–1–4/2024–RKVY/3 दिनांक–10.09.2024 द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए 0.19 करोड़ रू० कुल 15.00 करोड़ रूपये विमुक्त किया गया है। उक्त विमुक्ति के आलोक में आवंटनादेश निर्गत किया जा चुका है। योजना अंतर्गत व्यय SNA में उपलब्ध राशि अथवा भारत सरकार से तृतीय किस्त की राशि विमुक्ति के आलोक में निकासी कर किया जायेगा।

7. भारत सरकार के नये मार्गदर्शिका के अनुसार राज्य स्तर पर Single Nodal Agency (SNA) के रूप में कृषि निदेशक, बिहार, पटना दायित्व का निर्वहन करेंगे।

8. भारत सरकार द्वारा निर्धारित मार्गदर्शिका के आलोक में स्वीकृत राशि के अनुसार इस योजना के लिए निर्धारित SNA खाता संख्या–20500110063446 में भारत सरकार से प्राप्त सहायक अनुदान की राशि (60%) तथा समानुपातिक राज्यांश (40%) की निकासी कृषि निदेशक, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से कर PFMS पोर्टल में केन्द्रांश एवं राज्यांश के रूप में अलग–अलग संधारित की जायेगी। सिंगल नोडल एजेन्सी (SNA) के द्वारा Implementing Agency के लिए निर्धारित स्वीकृत राशि के अधीन समय–समय पर व्यय अधिसीमा निर्धारित कर राशि का व्यय सुनिश्चित कराया जायेगा।

9. स्वीकृत राशि के अन्तर्गत निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, पूर्वी अनुसंधान परिसर, पटना से अधियाचना प्राप्त होने पर सिंगल नोडल एजेन्सी (SNA) द्वारा निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, पूर्वी अनुसंधान परिसर, पटना को राशि कर्णांकित की जायेगी। व्यय प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र कृषि निदेशक, बिहार, पटना को ससमय उपलब्ध करायेंगे। साथ ही महालेखाकार के अंकेक्षण हेतु विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण–पत्र कृषि विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

10. इस योजना अंतर्गत कुल 2520 (14 कुशल एवं अकुशल मजदूर 180 दिनों के लिए) संभावित मानव दिवस सृजित होगी।

11. कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए संधारित बैंक खाता एवं लेखा का समुचित संधारण किया जायेगा। PFMS के माध्यम से राशि की निकासी एवं राशि का अंतरण किया जायेगा। कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अन्दर महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा एवं इसकी प्रति कृषि विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही बिहार वित्तीय नियमावली के अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता होगी। महालेखाकार बिहार को अंकेक्षण का अधिकार होगा।

12. स्वीकृत राशि का व्यय बिहार वित्तीय नियमावली 2005 (यथासंशोधित) के अनुसार की जायेगी।

13. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–125 दिनांक–31.10.2023 की शेष कंडिकाएँ पूर्ववत रहेंगी।

14. वित्त विभाग के पत्रांक–2561 दिनांक–17.04.1998 का अनुपालन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

15. वित्तीय वर्ष 2024–25 में बजट शीर्ष अंतर्गत उपबंधित एवं स्वीकृत राशि से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है :–

(राशि लाख रू0 में)

	बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
1.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (केन्द्रांश)		
(i)	मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्यशीर्ष–00–लघुशीर्ष–109–विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण –मांगसं०–01,उपशीर्ष–0216 –राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०),विपत्रकोड–01–2401001090216,पी०एफ०एम०एस० कोड –9145,विषयशीर्ष–31–सहायता अनुदान–0216–31–06 सहायक अनुदान–गैर वेतन	7025.93	25.83180
(ii)	मुख्य शीर्ष2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्यशीर्ष –00–लघुशीर्ष –789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–मांगसं०–01,उपशीर्ष–0203–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०)(ए०सी०ए०),विपत्रकोड–01–2401007890203 ,पी०एफ०एम०एस०कोड –9145,विषयशीर्ष–31–सहायता अनुदान –0203–31–06 सहायक अनुदान–गैर वेतन	1686.43	6.12417
(iii)	मुख्य शीर्ष2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्यशीर्ष –00–लघुशीर्ष– 796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना–मांग सं०–01,उपशीर्ष–0231– राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०),विपत्रकोड–01–2401007960231, पी०एफ०एम०एस० कोड–9145, विषयशीर्ष–31–सहायता अनुदान–0231–31–06 सहायक अनुदान–गैर वेतन	126.39	0.44403
	योग	**8838.75**	**32.40000**
2.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (राज्यांश)		
(i)	मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–109–विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण–मांग सं०–01,उपशीर्ष–0316–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०)(ए०सी०ए०),विपत्रकोड–01–2401001090316,पी०एफ०एम०एस०कोड–9145, विषय शीर्ष–31–सहायता अनुदान–0316–31–06 सहायक अनुदान–गैर वेतन	4550.12	17.22120
(ii)	मुख्य शीर्ष2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्यशीर्ष– 00–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–मांगसं०–01,उपशीर्ष–0303–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०)(ए०सी०ए०),विपत्रकोड–01–2401007890303,पी०एफ०एम०एस० कोड–9145, विषय शीर्ष–31–सहायता अनुदान–0303–31–06 सहायक अनुदान–गैर वेतन	1259.38	4.08278
(iii)	मुख्य शीर्ष2401–फसल कृषि कर्म–उप मुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना–मांगसं०–01, उपशीर्ष–0331–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०)(ए०सी०ए०),विपत्रकोड–01–2401007960331, पी०एफ०एम०एस० कोड–9145, विषयशीर्ष–31–सहायताअनुदान –0331–31–06 सहायक अनुदान–गैर वेतन	83.16	0.29602
	योग	**5892.66**	**21.60000**
	सकल योग	**14731.41**	**54.00000**

16. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के केन्द्रांश एवं राज्यांश मद के सभी श्रेणियों में उपबंधित राशि अवशेष नहीं है। अगले अनुपूरक आगणन में बजट उपबंध प्राप्ति पश्चात ही आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा।

17. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3758/वि0 दिनांक–31.05.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में योजना के कार्यान्वयन में सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या–रा०कृ०वि०यो०को०–37/2023 के पृ0सं0–38/टि. पर दिनांक–14.10.2024 को प्राप्त है।

18. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

19. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–रा०कृ०वि०यो०को०–37/2023 के पृ0सं0–41/टि. पर दिनांक–16.10.2024 को प्राप्त है, जिसका डायरी संख्या–710 दिनांक–16.10.2024 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(मनोज कुमार)
संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – रा०कृ०वि०यो०को०–37/2023-पी०पी०एम०-142-/कृ0, पटना दिनांक: 17/10/, 2024

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– रा०कृ०वि०यो०को०–37/2023 पी०पी०एम०-142/कृ0, पटना, दिनांक: 17/10/, 2024

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार,पटना।

ज्ञापांक– रा०कृ०वि०यो०को०–37/2023 पी०पी०एम०-142/कृ0, पटना, दिनांक: 17/10/, 2024

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– रा०कृ०वि०यो०को०–37/2023 पी०पी०एम०-142-/कृ0,पटना, दिनांक: 17/10/, 2024

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, पूर्वी अनुसंधान परिसर, पटना/निदेशक, पी0पी0एम0, कृषि विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कोषांग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी/संबंधित योजना के नोडल पदाधिकारी/संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा उप निदेशक (शष्य) सूचना, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों के ई–मेल पर भेजने हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।